# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 19 अगस्त, 1975

श्रावण 28, 1897 शक सम्वत्


उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

---

संख्या 3134 सत्रह-वि0–1––5-75

लखनऊ, 19 अगस्त, 1975

---

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 14 अगस्त, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

## उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम 1950 ई0, उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का अग्रेतर संशोधन करन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

### अध्याय 1

### प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1––यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

## अध्याय 2

## उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० की धारा 3 का संशोधन**

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, खण्ड (25) में, शब्द "गजट में प्रकाशित" के स्थान पर शब्द "नियत रीति से प्रकाशित" रख दिये जायं।

**धारा 117 का संशोधन**

3—मूल अधिनियम की धारा 117 में, जहां कहीं भी शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा", रख दिये जायं।

**धारा 117-क का संशोधन**

4—मूल अधिनियम की धारा 117-क में, उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा", रख दिये जाएं:

(ख) शब्द "विज्ञप्ति में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "ऐसे आदेश में निर्दिष्ट" रख दिये जायें।

**धारा 119 का संशोधन**

5—मूल अधिनियम की धारा 119 में, शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा" के स्थान पर शब्द "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा" रख दिये जायं।

**धारा 122-ख का संशोधन**

6—मूल अधिनियम की धारा 122-ख में, उपधारा (2), (3) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायं, अर्थात्:—

"(2) जहां भूमि प्रबन्धक समिति अथवा स्थानिक अधिकारिकी क्षति पहुंचाये जाने अथवा दुर्विनियोजन किये जाने के दिनांक से या, यथास्थिति, दोषपूर्ण अध्यासन के दिनांक से दो मास के भीतर, उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही न करे, तो कलेक्टर उपधारा (3) से (4-घ) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(3) जहां कलेक्टर को यह राय हो कि उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है अथवा उसका दुर्विनियोजन किया गया है, या उक्त उपधारा में अभिदिष्ट कोई भूमि, इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में, किसी व्यक्ति के अध्यासन में है वहां वह संबद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिये कि क्षति अथवा दुर्विनियोजन के लिये ऐसा प्रतिकर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट धनराशि से अधिक न हो, उससे क्यों न वसूल किया जाय, या, यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय, नोटिस जारी करेगा।

(4) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (3) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर अथवा ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जिसके लिये कलेक्टर तदर्थ अनुमति दे, कारण न बताये अथवा यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय, तो कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो और यह भी निदेश दे सकता है कि, यथास्थिति, संपत्ति की क्षति या दुर्विनियोजन के लिये अथवा दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप म वसूल की जाय।

(4-क) यदि कलेक्टर की यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन नोटिस में अभिदिष्ट क्षति पहुंचाने अथवा दुर्विनियोजन करने का दोषी नहीं है या यथास्थिति, अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में ऐसी भूमि का अध्यासी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावोन्मुक्त कर देगा।

(4-ख) यदि इस धारा के अधीन कार्यवाहियों में जांच के दौरान उपधारा (1) में अभिदिष्ट भूमि के अध्यासी व्यक्ति ने ऐसी भूमि के हक के संबंध में कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे कलेक्टर को हक संबंधी कोई सदभाविक प्रश्न उठना प्रतीत होता है, तो कलेक्टर आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर किसी सक्षम न्यायालय में धारा 229-ख के अधीन अपने हक के संबंध में घोषणात्मक वाद दायर करे, और इस बीच में अग्रतर कार्यवाहियां रोक देगा।

(4-ग) उपधारा (4-ख) में अभिदिष्ट वाद, यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट, 1947 में किसी बात के होते हुए, भी, दायर किया जा सकगा।

(4–घ) जहां उपधारा (4–ख) में अभिदिष्ट व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर ऐसा वाद दायर नहीं करता है अथवा जहां वाद दायर किये जाने पर खारिज कर दिया जाता है, वहां कलेक्टर यह निदेश देगा कि ऐसा व्यक्ति बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो और जहां ऐसा व्यक्ति पूर्णतः या अंशतः ऐसे वाद में सफल हो जाता है वहां कलेक्टर तदनुसार या तो इस धारा के अधीन अग्रेतर कार्यवाहियां छोड़ देगा या करेगा।

(4–ङ) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

(4–च) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी व्यक्ति के, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो, अध्यासन में धारा 117 के अधीन गांव सभा में निहित कोई भूमि (जो धारा 132 में उल्लिखित भूमि न हो) 30 जून, 1975 के पूर्व से हो, और भूमि-धर, असामी या सीरदार के रूप में उक्त दिनांक के पूर्व से उसके द्वारा धृत किसी भूमि सहित इस प्रकार अध्यासित भूमि 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध भूमि प्रबन्धक समिति या कलेक्टर द्वारा इस धारा के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जायगी और यह समझा जायगा कि ऐसे व्यक्ति को वह भूमि सीरदार के रूप में धारा 195 के अधीन उठा दी गयी है।

स्पष्टीकरण : पद "भूमिहीन" और "खेतिहर मजदूर" के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो धारा 198 में उनके लिये दिये गये हैं।"

7––मूल अधिनियम की धारा 124 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:–– धारा 124-का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा 122–ख के अधीन वसूल की जाने योग्य क्षति-पूर्ति या प्रतिकर की धनराशि संचित गांव कोष में जमा की जायगी।"

8––मूल अधिनियम की धारा 125–क में–– धारा 125-क का संशोधन

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"(1) प्रत्येक जिले के लिए एक संचित गांव कोष संघटित किया जायेगा जिसमें––

(क) धारा 124 की उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की धनराशि, और

(ख) उपधारा (2) के अधीन देय सभी अंशदान,

जमा किये जायेंगे।";

(2) उपधारा (2) में, शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "पच्चीस प्रतिशत" रख दिये जायं।

9––मूल अधिनियम की धारा 131 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:–– धारा 131 का संशोधन

"(ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे धारा 195 या धारा 196 के अधीन या उसके अनुसार कोई भूमि सीरदार के रूप में उठा दी गयी हो, और"

10––मूल अधिनियम की धारा 134 में–– धारा 134 का संशोधन

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"134 (1)––यदि कोई सीरदार, जो धारा 131 के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सीरदार न हो, उस भूमि के लिए जिसका वह सीरदार हो, प्रार्थना-पत्र के दिनांक पर देय मालगुजारी का अथवा देय समझी जाने वाली मालगुजारी का बीस गुना राज्य सरकार के नाम में जमा करता है तो वह उसके लिए असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष यथोचित रूप से प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उस दिनांक से जब धनराशि जमा की जाय इस बात के प्रख्यापन का अधिकारी हो जायेगा कि उसने उस भूमि के संबंध में धारा 137 में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण 1––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "भूमि" के अन्तर्गत भूमि में अंश भी है।

स्पष्टीकरण 2––इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये देय मालगुजारी निम्नलिखित होगी :

(क) धारा 246 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अभिदिष्ट भूमि के संबंध में सभी वृद्धियों को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपलब्ध धनराशि; और

(ख) उस भूमि के संबंध में जिस पर धारा 247 का प्रतिबन्धात्मक खण्ड लागू होता हो उस धारा के अधीन मौरूसी दरों पर अवधारित धनराशि।"

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"(3) धारा 131 के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट किसी सीरदार द्वारा, भूमिधरी अधिकार अर्जित करने के लिये उपधारा (1) के अधीन दिये गये समस्त प्रार्थना-पत्र,

जो उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक (जिसे आगे इस धारा में उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व विचाराधीन हों, उपशमित हो जायेंगे, और जमा की गई धनराशि यथास्थिति, सीरदार या उसके उत्तराधिकारी को वापस कर दी जायगी।

स्पष्टीकरण--उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ, कोई प्रार्थना-पत्र विचाराधीन समझा जायगा, यदि उक्त दिनांक को, धारा 137 की उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रमाण-पत्र वास्तव में जारी न किया गया हो।"

धारा 138 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 138 में--

(क) उपधारा (1) में, शब्द "भूमिधर खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिये वाद प्रस्तुत कर सकता है" के स्थान पर शब्द तथा अंक "भूमिधर खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिये धारा 178 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वाद प्रस्तुत कर सकता है" रख दिये जाएं।

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "उसे न्याय शुल्क देने पर" के स्थान पर शब्द "भूमिधर धारा 178 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, और न्याय शुल्क देने पर" रख दिये जाएं।

धारा 139 का निकाला जाना

12--मूल अधिनियम की धारा 139 निकाल दी जाय।

धारा 145 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 145 में, शब्द 'कलेक्टर' के स्थान पर शब्द 'परगने के अधिकारी असिस्टेन्ट कलेक्टर' रख दिये जायं।

धारा 156 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--जहां किसी खातेदार ने किसी ऐसी व्यवस्था के अधीन अपने संपूर्ण खाते या उसके भाग से अपना कब्जा संक्रमित कर दिया हो जिसके द्वारा खातेदार किसी धनराशि या ऐसे खाते या उसके भाग में उगाये गये उत्पाद के किसी अंश का हकदार हो जाय तो यह समझा जायगा कि संक्रमणकर्ता ने ऐसा खाता या उसका भाग संक्रमिती को पट्टे पर दे दिया है।"

धारा 157 का संशोधन

15--मूल अधिनियम की धारा 157 में--

(i) उपधारा (1) में, खण्ड (ङ) में, शब्द "स्वीकृत संस्था (recognised institution) के स्थान पर शब्द "स्वीकृत शिक्षा संस्था" रख दिये जायें, और स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(1-क) जहां उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित कोई बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों द्वारा कोई भूमि अर्जित करे तो वह ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके भाग को एक बार में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पट्टे पर दे सकता है और उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टेदार का इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि में कोई अधिकार, हक या स्वत्व समाप्त हो जायगा।"

धारा 159 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 159 में, शब्द तथा अंक "धारा 167" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 166 तथा 167" रख दिये जाएं।

धारा 160 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 160 में, शब्द तथा अंक "धारा 157" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 156 तथा 157" रख दिए जाएं।

धारा 163 का संशोधन

18--मूल अधिनियम की धारा 163 में--

(i) उपधारा (1) में, शब्द "वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में संक्रमण हुआ हो" के स्थान पर शब्द "वह व्यक्ति जिसके पक्ष में संक्रमण किया गया हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण खाते या उसके भाग पर इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो" रख दिये जायें;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(3) उपधारा (1) के अधीन बेदखली की डिक्री में भूमिधर को संपूर्ण खाते या उसके भाग से, जैसा भी न्यायालय, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निदेश दे, बेदखल होने का निदेश दे सकता है।"

धारा 166 का संशोधन

19--मूल अधिनियम की धारा 166 में, शब्द "इस अध्याय के निदेशों के अननुकूल" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में" रख दिये जाएं।

धारा 167 का संशोधन

20--मूल अधिनियम की धारा 167 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(3) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में संक्रमणकर्ता पक्षकार बनाया जायगा।"

21--मूल अधिनियम की धारा 169 में--

धारा 169 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में, शब्द, कोष्ठक, अक्षर तथा अंक "उपधारा (2) तथा (2-क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "उपधारा (2-क)" रख दिये जायें;

(ii) उपधारा (2) निकाल दी जाय।

22--मूल अधिनियम की धारा 178 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

धारा 178 का संशोधन

"(3) जहां किसी सह-खातेदार ने--

(क) धारा 157 की उपधारा (2) के अधीन किसी खाते में केवल एक अंश पट्टे पर दिया हो; या

(ख) धारा 134 के अधीन किसी खाते के केवल एक अंश के संबंध में ही भूमिधरी अधिकार यथावत् प्राप्त किये हों,

तो न्यायालय उपर्युक्त अंश को अलग-अलग कर खाते का विभाजन कर देगा, परन्तु शेष खाते के संबंध में उपधारा (1) के उपबन्धों का, यदि लागू होते हों, अनुसरण किया जायगा।"।

23--मूल अधिनियम की धारा 194 में,--

धारा 194 का संशोधन

(i) खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क) या खण्ड (कक)" रख दिये जाएं;

(ii) खण्ड (ख) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क) (ख), (ग) या (ङ)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (गग) या खण्ड (ङ)" रख दिये जाएं।

24--मूल अधिनियम की धारा 198 में--

धारा 198 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में--

(i) खण्ड (क) से (झ) तक के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायें, अर्थात् :-

"(क) ऐसे व्यक्ति की, जिसने संघ की सशस्त्र सेना में सक्रिय सेवा करते हुए शत्रु-आक्रमण के कारण अपना जीवन बलिदान किया हो, मण्डल में रहने वाली भूमि-हीन विधवा, उसके भूमिहीन पुत्र, उसकी भूमिहीन अविवाहित पुत्रियां या उसके भूमिहीन माता-पिता;

(ख) मण्डल में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में सेवा करते हुए शत्रु-आक्रमण के कारण पूर्णतया निर्योग्य हो गया हो;

(ग) मण्डल में रहने वाला और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(घ) मण्डल में रहने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर;

(ङ) कोई भूमिधर, सीरदार या असामी जो मण्डल में रहता हो और जिसके पास 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से कम भूमि हो;

(च) मण्डल में रहने वाला कोई भूमिहीन व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी अधिकारी से भिन्न सेवा से निवृत्त, निर्मुक्त या सेवोमुक्त हो;

(छ) मण्डल में रहने वाला भूमिहीन स्वतंत्रता सेनानी जिसे राजनीतिक पेंशन न दी गई हो;

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में न रहता हो किन्तु यू0 पी0 पंचायत-राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42 में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो"।

(ii) उसके स्पष्टीकरण में खण्ड (1) में, शब्द, कोष्ठक तथा अक्षर "और खण्ड (घ) के सिवाय" निकाल दिये जायं;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जाय;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(3) ऐसी भूमि का क्षेत्रफल जो उपधारा (1) के अधीन प्रदिष्ट की जाय--

(i) खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले व्यक्ति की दशा में, प्रदेशन के ठीक पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि को मिलाकर 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़);

(ii) किसी अन्य दशा में, 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़), से अधिक न होगा ।"

(घ) उपधारा (4) में, खण्ड (1) तथा (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्:—

"(i) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है, और

(ii) ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये भूमि के प्रदेशन की दशा में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर प्रदेशन तथा पट्टा यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है ।";

(ङ) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(4—क) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्:—

(i) ऐसी भूमि में प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, हक तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जावेगी ;

(ii) कलेक्टर निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो ।"।

धारा 331 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 331 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गई समझी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित किसी न्यायालय द्वारा, उसके स्तम्भ 3 में उल्लिखित कार्यवाहियों में पारित किसी डिक्री या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के अधीन किसी आदेश या धारा 104 या उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 में उल्लिखित प्रकार के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उसके स्तम्भ 5 में उल्लिखित किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी ।"

नई धारा 333-क का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 333 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

बोर्ड को अभिदेश

"333-क—कमिश्नर अथवा अपर कमिश्नर धारा 333 में निर्दिष्ट किसी ऐसे बाद या व्यवहार को जिस पर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया गया हो, उसमें दी गई किसी आज्ञा की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिये मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और यदि उसको यह राय हो कि ऐसी आज्ञा को परिवर्तित, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह मामले को उस पर अपनी राय सहित बोर्ड को आज्ञार्थ अभिदिष्ट करेगा, और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा देगा जो वह उचित समझे ।"

धारा 344 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 344 में, उपधारा (2), (3) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथा शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों, अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

## अध्याय 3

## उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1957 की धारा 86 का संशोधन

28—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 86 में, उपधारा (4), (5) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात:—

"(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिय सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

## अध्याय 4

## कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1960 का संशोधन

29—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम 1960, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "कुमायूं तथा उत्तराखण्ड डिवीजन" (उसकी धारा 1 को छोड़कर) जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल डिवीजन" रख दिये जाए और दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 से रखे गये समझे जाएं।

धारा 3 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 से रखी गई समझी जाय, अर्थात :—

"(9) 'कुमायूं डिवीजन' से तात्पर्य है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिले ;

(9-क) 'गढ़वाल डिवीजन' से तात्पर्य है गढ़वाल टेहरी, गढ़वाल उत्तरकाशी और चमोली के जिले ;"।

धारा 56 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 56 में—

(क) उपधारा (3) में, खण्ड (6) में, शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963" रख दिये जाए।

(ख) उपधारा (4), (5) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात:—

"(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

## अध्याय 5

## जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1956 की धारा 43 का संशोधन

32—जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 43 में उपधारा (4), (5) तथा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात:—

"(4) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

## अध्याय 6

### यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 3, 1901 की धारा 5 का प्रतिस्थापन

33--यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात्:--

"5--राज्य सरकार के अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए परिषद् राज्य सरकार तथा वादों, अपीलों, अभिदेशों तथा पुनरीक्षणों के निस्तारण से सम्बद्ध परिषद् के नियंत्रण विषयों को छोड़कर, अधिनियम के अधीन उपबन्धित अन्य विषयों संबंधी अलग-अलग के सम्बन्ध में मुख्य नियंत्रक प्राधिकारी होगा।"

अधिकार

धारा 8 का संशोधन

34--मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) जहां कोई ऐसी कार्यवाही, जो अपील या अभिदेश या पुनरीक्षण में परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिए आये, दो या अधिक सदस्यों से संगठित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय तो वह वाद ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जाएगा।"

धारा 33 का संशोधन

35--मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(2) कलेक्टर वार्षिक रजिस्टर में--

(क) धारा 35 के उपबन्धों के अनुसार समस्त उत्तराधिकार तथा संक्रमण, या

(ख) अन्य परिवर्तन, जो किसी भूमि के सम्बन्ध में हों,

अभिलिखित करायेगा और समस्त अशुद्धियों तथा लोपों को धारा 39 के उपबन्धों के अनुसार शुद्ध भी करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ख) के अधीन परिवर्तन अभिलिखित करने के अधिकार का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि उसके अन्तर्गत किसी ऐसे विवाद को निर्णीत करने का अधिकार भी है जिसमें हक सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो।"

धारा 33-क संशोधन

36--मूल अधिनियम की धारा 33-क को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(2) किसी व्यक्ति के जो उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 195 या 196 के अधीन किसी भूमि का सीरदार या उक्त अधिनियम की धारा 197 के अधीन असामी हो गया है, सम्बन्ध में उपधारा (1) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

धारा 34 का संशोधन

37--मूल अधिनियम की धारा 34 में--

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(1) उत्तराधिकार या संक्रमण (ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण से भिन्न जिसे धारा 33-क के अधीन पहले ही अभिलिखित कर लिया गया है) द्वारा किसी भूमि पर कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे उत्तराधिकार या संक्रमण की सूचना उस तहसील के तहसीलदार को देगा जिसमें भूमि स्थित हो।";

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जाय;

(ग) उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनार्थ, शब्द 'संक्रमण' के अन्तर्गत निम्नलिखित है, अर्थात् :--

(i) ऐसा कौटुम्बिक व्यवस्थापन जिसके द्वारा उस कुटुम्ब के किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के नाम में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित जोत या जोत के भाग को किसी दूसरे या अन्य सदस्यों का होना प्रख्यापित किया जाय; या

(ii) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 161 के अधीन जोत या उसके भाग का विनिमय प्रख्यापित किया जाय।"

38--मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:-- धारा 35 का प्रतिस्थापन

"35--धारा 34 के अधीन उत्तराधिकार या संक्रमण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या अन्यथा तथ्यों की जानकारी होने पर, तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो, और यदि यह प्रतीत हो कि उत्तराधिकार या संक्रमण हुआ है तो वह वार्षिक रजिस्टरों को तद्नुसार संशोधित करने का निदेश देगा।" रिपोर्ट पर प्रक्रिया

39--मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:-- धारा 39 का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह कलेक्टर को कोई ऐसे विवाद, जिसमें हक सम्बन्धी प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करती है।"

40--मूल अधिनियम की धारा 191 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:-- धारा 191 का प्रतिस्थापन

"191--परिषद् या आयुक्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही को जिसके अन्तर्गत विभाजन सम्बन्धी वाद भी है, किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से किसी अन्य ऐसे न्यायालय या अधिकारी को जो उन पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम हो, संक्रमित कर सकता है।" वाद संक्रमित करने का परिषद् या आयुक्त का अधिकार

41--मूल अधिनियम की धारा 210 में, उपधारा (6) में, अंक "35" निकाल दिया जाय। धारा 210 का संशोधन

42--मूल अधिनियम की धारा 218 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:-- धारा 218 का प्रतिस्थापन

"218--आयुक्त, अपर आयुक्त, कलेक्टर, अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गयी कार्यवाहियों के अभिलेख को मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है और, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही या दिये गये आदेश को परिवर्तित, निरस्त या उलट दिया जाना चाहिये तो वह उस मामले को अपनी राय सहित आदेशार्थ परिषद् को अभिदिष्ट करेगा और तदुपरांत परिषद् उस पर ऐसा आदेश देगी जो वह उचित समझे।" परिषद् को अभिदेश

43--मूल अधिनियम की धारा 219 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :-- धारा 219 का प्रतिस्थापन

"219--परिषद् किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी मामले के अभिलेख को मंगा सकती है, और यदि यह प्रतीत हो कि-- परिषद् के समक्ष पुनरीक्षण

(क) अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या

(ख) अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकार निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा है, या

(ग) अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता के साथ कार्य किया है,

तो परिषद् ऐसा आदेश दे सकती है, जो वह उचित समझे।"

44--मूल अधिनियम की धारा 227 में-- धारा 227 का संशोधन

(क) खण्ड (2) के पूर्व निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:--

"(1) द्वितीय वर्ग के सहायक कलेक्टर या तहसीलदार की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना,";

(ख) खण्ड (5) निकाल दिया जाय।

45--मूल अधिनियम की धारा 234 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:- धारा 234 का प्रतिस्थापन

"234-(1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृत से, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है, अर्थात्-- परिषद् की नियम बनाने की शक्ति

(क) तहसीलदारों तथा नायब-तहसीलदारों के कर्त्तव्यों को नियत करना और उनके तैनाती तथा स्थानान्तरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति को विनियमित करना :

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाये या रखे गये अधिकार-अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों, नक्शों, खसरों, रजिस्टरों तथा सूचियों के प्रपत्र, उनकी अन्तर्वस्तु, उन्हें तैयार करने, अनुप्रमाणित करने तथा अनुरक्षित करने की रीति नियत करना

तथा उस भूमि के, यदि कोई हो, प्रकार को नियत करना जिसके संबंध में धारा 32 के अधीन ऐसा अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता न हो;

(ग) उत्तराधिकारों तथा संक्रमणों को अधिसूचित न करने पर धारा 38 के अधीन जुर्माने का आरोपण विनियमित करना;

(घ) उन खर्चों को विनियमित करना जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में वसूल किये जा सकते हों;

(ङ) किसी ऐसे अधिकारी (या अन्य व्यक्ति) द्वारा, जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही म इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाय या जो ऐसा करने के लिये अधिकृत हो, अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना;

(च) इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में सभी व्यक्तियों के पथप्रदर्शन के लिये और ऐसे वाद या कार्यवाही के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाना;

(छ) राजस्व न्यायालय में याचिका लेखकों के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने, ऐसे व्यक्तियों के कार्य संचालन तथा उनके द्वारा लिये जाने वाले शुल्कों के मान को विनियमित करना, तथा लाइसेंस की ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करने के लिये लाइसेंस को रद्द करना ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार या परिषद द्वारा बनाये गये समस्त नियम, जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थे, और ऐसे दिनांक को प्रवृत्त थे, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त, संशोधित या परिवर्तित न कर दिये जायं ।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

46—ऐसे सभी मामले जो मूल अधिनियम की धारा 218 के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार को अभिदिष्ट किये गये हों तथा ऐसे सभी पुनरीक्षण जो धारा 219 के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पूर्व विद्यमान थी, राज्य सरकार के समक्ष दाखिल किये गये हों, और उक्त दिनांक को राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हों, किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी परिषद को संक्रमित हो जायेंगे और परिषद द्वारा निर्णीत किये जायगे तथा परिषद का निर्णय अंतिम होगा ।

## अध्याय 7

## उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

47—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 54 में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1954 ई० की धारा 54 का संशोधन

(i) उपधारा (1) में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं ;

(ii) उपधारा (3), (4) तथा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्यक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हों, उसके एक सत्र या दो या अधिक सत्रों में समाविष्ट कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार के किसी परिष्कार या अभिशून्यन से संबद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा ।"

## अध्याय 8

## निरसन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20, 1975 निरसन

48—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

No. 3134 (2) /XVII-V—1-5-1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi-Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 30 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 14, 1975 :

# THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1975

(U. P. Act No. 30 of 1975)

(*As passed by the Legislature*)

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1950, *the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1956, *the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1960, *the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1956, *the U. P. Land Revenue Act,* 1901 *and the U. P. Consolidation of Holdings Act,* 1953.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

## CHAPTER I

## PRELIMINARY

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975.

## CHAPTER II

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950

Amendment of section 3 of U. P. Act 1 of 1951.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in clause (25), *for* the words "published in the *Gazette*", the words "published in the manner prescribed" shall be *substituted.*

Amendment of section 117.

3. In section 117 of the principal Act, *for* the words "by notification in the *Gazette*" wherever occurring, the words "by general or special order to be published in the manner prescribed" shall be *substituted.*

Amendment of section 117-A.

4. In section 117-A of the principal Act, in sub-section (1) —

(*a*) *for* the words "by notification in the *Gazette*" the words "by general or special order to be published in the manner prescribed" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* the words "specified in the notification", the words, "specified in such order" shall be *substituted.*

Amendment of section 119.

5. In section 119 of the principal Act, *for* the words "by notification in the *Gazette*", the words "by general or special order to be published in the manner prescribed" shall be *substituted.*

Amendment of section 122-B.

6. In section 122-B of the principal Act, *for* sub-sections (2), (3) and (4), the following sub-sections shall be *substituted,* namely :—

"(2) Where the Land Management Committee or the local authority has failed to take action in accordance with the provisions of sub-section (1) within a period of two months from the date of causing of damage or of misappropriation or, as the case may be, the date of wrongful occupation, the Collector shall proceed to take action in accordance with sub-sections (3) to (4-D).

(3) Where the Collector is of opinion that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated, or any person is in occupation of any land referred to in that sub-section in contravention of the provisions of this Act, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage or misappropriation not exceeding the amount specified in the notice be not recovered from him, or, as the case may be, why he should not be evicted from such land.

(4) If the person to whom a notice has been issued under sub-section (3), fails to show cause within the time specified in the notice or within such extended time as the Collector may allow in this behalf, or if the cause shown is found to be insufficient, the Collector may direct that such person shall be evicted from the land and may, for that purpose, use or cause to be used such force as may be necessary and may also direct that the amount of compensation for damage or misappropriation of the property or for wrongful occupation, as the case may be, be recovered from such person as arrears of land revenue.

(4-A) If the Collector is of opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage or misappropriation referred to in the notice under sub-section (3) or, as the case may be, is not in occupation of the land in contravention of the provisions of the Act, he shall discharge the notice.

(4-B) If during the course of inquiry in proceedings under this section, the person in occupation of the land referred to in sub-section (1) has produced any evidence of title to such land which appears to the Collector to raise *bona fide* question of title, then the Collector shall, by order, require such person to file a suit for declaration of his title under section 229-B in a competent court within a period of one month from the date of such order, and stay further proceedings in the meantime.

(4-C) The suit referred to in sub-section (4-B) may be filed, notwithstanding anything contained in the U. P. Panchayat Raj Act, 1947.

(4-D) Where the person referred to in sub-section (4-B) fails to file such suit within the said period or where the suit, if filed, is dismissed, the Collector shall direct that such person shall be evicted and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary and where such person succeeds in the suit wholly or partly, the Collector shall either drop or hold further proceedings under this section accordingly.

(4-E) Every order of the Collector under this section shall be final and shall not be called in question in any court.

(4-F) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, where any person who is a landless agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, is in occupation of any land vested in a Gaon Sabha under section 117 (not being land mentioned in section 132), having occupied it from before June 30, 1975, and the land so occupied together with any land held by him from before the said date as *bhumidhar, sirdar* or *asami* does not exceed 1.26 hectares (3.125 acres), then no action under this section shall be taken by the Land Management Committee or the Collector against such person and it shall be deemed that such person has been admitted as *sirdar* of that land under section 195.

*Explanation*—The expression 'landless' and 'agricultural labourer' shall have the meaning respectively assigned to them in section 198."

Amendmen of section 124.

7. In section 124 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted,* namely :—

"Provided that the amount of damages or compensation recoverable under section 122-B shall be credited to the Consolidated Gaon Fund."

Amendment of section 125-A.

8. In section 125-A of the principal Act—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(1) There shall be constituted for each district, a Consolidated Gaon Fund to which shall be credited—

(*a*) the amount of damages or compensation referred to in the proviso to sub-section (1) of section 124 ; and

(*b*) all contributions payable under sub-section (2)."

(ii) in sub-section (2), *for* the words 'fifteen per centum', the words 'twenty-five per centum', shall be *substituted.*

Amendment of section 131.

9. In section 131 of the principal Act, *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted,* namely :—

"(*b*) every person who is admitted as *sirdar* of any land under or in accordance with the provisions of section 195 or section 196 : and"

10. In section 134 of the principal Act,— Amendment of section 134.

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) If a *sirdar*, not being a *sirdar*, referred to in clause (*b*) of section 131, deposits to the credit of the State Government, an amount equal to twenty times the land revenue payable or deemed to be payable on the date of application for the land of which he is the *sirdar*, he shall, upon an application duly made in that behalf to an Assistant Collector, be entitled, with effect from the date on which the amount has been so deposited, to a declaration that he has acquired the rights mentioned in section 137 in respect of such land.

*Explanation I*—For the purposes of this sub-section, the expression 'land' includes share in land.

*Explanation II*—For the purposes of this sub-section, the land revenue payable shall—

(*a*) in respect of land referred to in the proviso to clause (*a*) of sub-section (1) of section 246, be an amount arrived at after all the increases have been given effect to ; and

(*b*) in respect of land to which the proviso to section 247 applies be an amount determined at hereditary rates under that section."

(ii) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) All applications for the acquisition of *bhumidhari* rights under sub-section (1) by a *sirdar* referred to in clause (*b*) of section 131 pending on the date immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975 (hereinafter in this section referred to as the said date) shall abate, and the amount deposited shall be refunded to such *sirdar* or his heir, as the case may be.

*Explanation*—For the purposes of sub-section (3), an application shall be deemed to be pending if on the said date, the certificate referred to in sub-section (1) of section 137 has actually not been issued."

11. In section 138 of the principal Act— Amendment of section 138.

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "the *bhumidhar* may sue", the words and figures "the *bhumidhar* may, subject to the provisions of section 178, sue" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "subject to the payment of court fees", the words "subject to the provisions of section 178 and the payment of court fees" shall be *substituted*.

12. Section 139 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 139.

13. In section 145 of the principal Act, *for* the word "Collector", the words "Assistant Collector incharge of the sub-division" shall be *substituted*. Amendment of section 145.

14. In section 156 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following Explanation thereto shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 156.

"*Explanation*—Where a tenure-holder has transferred possession over the whole or part of his holding under any arrangement whereby the tenure-holder becomes entitled to any money, or to any share in the produce grown in such holding or part, then the transferor shall be deemed to have let such holding or part to the transferee."

15. In section 157 of the principal Act— Amendment of section 157.

(i) in sub-section (1), in clause (*e*), *for* the words "recognised institution", the words "recognised educational institution" shall be *substituted* and the Explanation shall be *omitted* ;

(ii) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Where any Bank, as defined in clause (*c*) of section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973, acquires any land through proceedings under the said Act, it may let the whole or part of such land for a period not exceeding one year at a time and after the expiry of the said period, the lessee shall cease to have any right, title or interest in the land so let."

Amendment of section 159.

16. In section 159 of the principal Act, *for* the word and figures "section 167", the words and figures "sections 166 and 167" shall be *substituted.*

Amendment of section 160.

17. In section 160 of the principal Act, *for* the word and figures "section 157", the words and figures "sections 156 and 157" shall be *substituted.*

Amendment of section 163.

18. In section 163 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the word "transferee" where it occurs for the first time, the words "transferee and every person who may have thus obtained possession of the whole or part of the holding", shall be *substituted;*

(ii) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted* namely :—

"(3) A decree for ejectment under sub-section (1) may direct the ejectment of the *bhumidhar* from the whole or part of the holding as the court may, having regard to the circumstances of the case, direct."

Amendment of section 166.

19. In section 166 of the principal Act, *for* the words "incontravention of the provisions of this Chapter", the words "in contravention of the provisions of this Act" shall be *substituted.*

Amendment of section 167.

20. In section 167 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(3) To every suit for ejectment under this section, the transferor shall be made a party."

Amendment of section 169.

21. In section 169 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *for* the words, brackets, letter and figures "sub-sections (2) and (2-A)", the words, brackets, figure and letter "sub-section (2-A)" shall be *substituted;*

(ii) sub-section (2) shall be *omitted.*

Amendment of section 178.

22. In section 178 of the principal Act, *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(3) Where a co-tenure-holder has—

(*a*) let out only a share in any holding under sub-section (2) of section 157; or

(*b*) duly acquired *bhumidhari* rights under section 134 with respect only to a share in any holding;

the court shall divide the holding by separating the share aforesaid, but in respect of the remainder of the holding, the provisions of sub-section (1), if applicable, shall be followed."

Amendment of section 194.

23. In section 194 of the principal Act—

(i) in clause (*a*), *for* the word, brackets and letter "clause (*a*)", the words, brackets and letters "clause (*a*) or clause (*aa*)" shall be *substituted*;

(ii) in clause (*b*), *for* the words, brackets and letters "clause (*a*), (*b*), (*c*) or (*e*)" the words, brackets and letters "clause (*a*), clause (*b*), clause (*c*), clause (*cc*) or clause (*e*)" shall be *substituted.*

Amendment of section 198.

24. In section 198 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1)—

(i) *for* clauses (*a*) to (*i*), the following clauses shall be *substituted,* namely :—

"(*a*) landless widow, sons, unmarried daughters or parents residing in the circle of a person who has lost his life by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union;

(*b*) a person residing in the circle, who has become wholly disabled by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union;

(*c*) a landless agricultural labourer residing in the circle and belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe:

(*d*) any other landless agricultural labourer residing in the circle ;

(*e*) a *bhumidhar, sirdar* or *asami* residing in the circle and holding land less than 1.26 hectares (3.125 acres) ;

(*f*) a landless person residing in the circle who is retired, released or discharged from service other than service as an officer in the Armed Forces of the Union ;

(*g*) a landless freedom fighter residing in the circle who has not been granted political pension ;

(*h*) any other landless agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, not residing in the circle but residing in the Nyaya Panchayat Circle referred to in section 42 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947." ;

(ii) in the Explanation thereto in clause (1), the words, brackets and letter "except in clause (*d*)" shall be *omitted ;*

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted ;*

(*c*) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted,* namely :—

"(3) The land that may be allotted under sub-section (1) shall not exceed—

(i) in the case of a person falling under clause (*e*), such area as together with the land held by him as *bhumidhar, sirdar* or *asami,* immediately before the allotment would aggregate to 1.26 hectares (3.125 acres) ;

(ii) in any other case, an area of 1.26 hectares (3.125 acres)" ;

(*d*) in sub-section (4), *for* clauses (i) and (ii), the following clauses shall be *substituted,* namely :—

"(i) in the case of an allotment of land made before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975, cancel the allotment and the lease, if any, within five years from the date of such commencement ; and

(ii) in the case of an allotment of a land made on or after the date of such commencement, cancel the allotment and the lease, if any, within five years from the date of such allotment or lease.";

(*e*) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted,* namely :—

"(4-A) Where the allotment or lease of any land is cancelled under sub-section (4), the following consequences shall ensue, namely :—

(i) The right, title and interest of the allottee or lessee or any person claiming through him in such land shall cease, and the land shall revert to the Gaon Sabha ;

(ii) The Collector may direct delivery of possession of such land forthwith to the Gaon Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof, and may, for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary."

Amendment of section 331.

25. In section 331 of the principal Act, *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted,* namely :—

"(3) An appeal shall lie from any decree or from an order passed under section 47 or an order of the nature mentioned in section 104 of the Code of Civil Procedure, 1908 or in Order 43, Rule 1 of the First Schedule to that Code, passed by a court mentioned in column no. 4 of Schedule II to this Act in proceedings mentioned in column no. 3 thereof, to the court or authority mentioned in column no. 5 thereof."

Insertion of new section 333-A.

26. *After* section 333 of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :—

"333-A. The Commissioner or the Additional Commissioner may call for and examine the record of any suit or proceeding referred to in section 333 decided by any court subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any order passed in such suit or proceeding,

Reference to the Board.

and if he is of opinion that such order should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, and the Board shall thereupon pass such orders as it thinks fit."

Amendment of section 344.

27. In section 344 of the principal Act, *for* sub-sections (2), (3) and (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) All rules made under this section shall as soon as may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

## CHAPTER III

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH URBAN AREAS ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1956

Amendment of section 86 of U. P. Act no. IX of 1957.

28. In section 86 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, *for* sub-sections (4), (5) and (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) All rules made under this section shall as soon as, may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

## CHAPTER IV

## AMENDMENT OF THE KUMAUN AND UTTARAKHAND ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1960

Amendment of U. P. Act no. XVII of 1960.

29. In the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* the words "Kumaun and Uttarakhand Divisions" wherever occurring (except in section 1 thereof), the words "Kumaun and Garhwal Divisions" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from December 20, 1968.

Amendment of section 3.

30. In section 3 of the principal Act, *for* sub-section (9), the following sub-sections shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from December 20, 1968, namely :—

"(9) 'Kumaun Division' means the districts of Naini Tal, Almora and Pithoragarh ;

(9-A) 'Garhwal Division' means the districts of Garhwal, Tehri-Garhwal, Uttarkashi and Chamoli" ;

Amendment of section 56.

31. In section 56 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (3), in clause (vi), *for* the words and figures "Indian Limitation Act, 1908" the words and figuers "the Limitation Act, 1963" shall be *substituted* ;

(*b*) *for* sub-sections (4), (5) and (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) All rules made under this section shall as soon as may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

## CHAPTER V

## AMENDMENT OF THE JAUNSAR-BAWAR ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1956

Amendment of section 43 of U. P. Act no. XI of 1956.

32. In section 43 of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, *for* sub-sections (4), (5) and (6), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) All rules made under this section shall as soon as may, after they are made be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

## CHAPTER VI

## AMENDMENT OF THE U. P. LAND REVENUE ACT, 1901

Substitution of section 5 of U. P. Act III of 1901.

33. *For* section 5 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), the following section shall be *substituted*, *namely* :—

Controlling powers of State Government and Board respectively.

"5. Subject to the superintendence, direction and control of the State Government, the Board shall be the chief controlling authority in the matters provided under the Act, excepting matters relating to disposal of cases, appeals, references and revisions."

Amendment of section 8.

34. In section 8 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Where a proceeding coming under the consideration of the Board on appeal or reference or in revision is heard by a Division Bench composed of two or more members, the case shall be decided in accordance with the opinion, of such members or of the majority, if any, of such members."

Amendment of section 33.

35. In section 33 of the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(2) The Collector shall cause to be recorded in the annual register—

(*a*) all successions and transfers in accordance with the provisions of section 35 ; or

(*b*) other changes that may take place in respect of any land ;

and shall also correct all errors and omissions in accordance with the provisions of section 39 :

Provided that the power to record a change under clause (*b*) shall not be construed to include the power to decide a dispute involving any question of title."

Amendment of section 33-A.

36. Section 33-A of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2) The provisions of sub-section (1) shall *mutatis mutandis* apply to a person who has been admitted to any land as a *sirdar* under section 195 or 196 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or as an *asami* under section 197 of the said Act."

Amendment of section 34.

37. In section 34 of the principal Act—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Every person obtaining possession of any land by succession or transfer (other than a succession or transfer which has already been

recorded under section 33-A), shall report such succession or transfer to the Tahsildar of the Tahsil in which the land is situate.";

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted;*

(*c*) *for* the Explanation thereto, the following Explanation shall be *substituted,* namely :—

"*Explanation*—For the purposes of this section, the word 'transfer' includes—

(i) a family settlement by which the holding or part of the holding recorded in the record-of-rights in the name of one or more members of that family is declared to belong to another or other members; or

(ii) an exchange of holding or part thereof under section 161 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950."

Substitution of section 35.

38. *For* section 35 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Procedure on report.

"35. On receiving a report of succession or transfer under section 34, or upon facts otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as appears necessary, and if the succession or transfer appears to have taken place, he shall direct the annual registers to be amended accordingly."

Amendment of section 39.

39. In section 39 of the principal Act, in sub-section (2), the following proviso thereto shall be *inserted,* namely :—

"Provided that nothing in this sub-section shall be construed to empower the Collector to decide a dispute involving any question of title."

Substitution of section 191.

40. *For* section 191 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Power of Board or Commissioner to transfer cases.

"191. The Board or a Commissioner may transfer any case or proceeding arising under the provisions of this Act, including a partition case, from any subordinate Revenue Court or Revenue Officer to any other court or officer competent to deal therewith.

Amendment of section 210.

41. In section 210 of the principal Act, in sub-section (6), the figures "35" shall be *omitted.*

Substitution of section 218.

42. *For* section 218 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Reference to the Board.

"218. The Commissioner, the Additional Commissioner, the Collector, the Record Officer or the Settlement Officer may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings, and, if he is of opinion that the proceeding taken or order passed by such subordinate officer should be varied, cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board and the Board shall thereupon pass such orders as it thinks fit."

Substitution of section 219.

43. *For* section 219 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :—

Revision before the Board.

"219. The Board may call for the record of any case decided by any subordinate court, and if the subordinate court appears—

(*a*) to have exercised a jurisdiction not vested in it in law, or

(*b*) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(*c*) to have acted in the exercise of jurisdiction illegally or with material irregularity,

the Board may pass such order as it thinks fit."

44. In section 227 of the principal Act— Amendment of section 227.

(*a*) *before* clause (2), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(i) to exercise all or any of the powers of an Assistant Collector of the Second Class or a Tahsildar ;"

(*b*) clause (5) shall be *omitted*.

45. *For* section 234 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :— Substitution of section 234.

"234. (1) The Board may, with the previous sanction of the State Government, make rules consistent with this Act in respect of all or any of the following matters, namely :— Power of Board to make rules.

(*a*) prescribing the duties of tahsildars and naib-tahsildars and regulating their postings and transfers and their appointment in temporary vacancies ;

(*b*) prescribing the forms, contents, methods of preparation, attestation and maintenance of the record-of-rights and other records, maps, field-books, registers, and lists made or kept under this Act and prescribing the kind of land, if any, in respect of which any such record need not be prepared under section 32 ;

(*c*) regulating the imposition of fines, under section 38, for failure to notify successions and transfers ;

(*d*) regulating the costs which may be recovered in or in respect of any proceeding under this Act ;

(*e*) regulating the procedure to be followed by any officer (or other person), who under any provision of this Act is required or empowered to take action in any case or proceeding under this Act;

(*f*) generally for the guidance of all persons in a case or proceeding under this Act, and for carrying out the provisions of this Act in respect of such case or proceeding ;

(*g*) regulating the issue of licences to persons to act as petition writers in the revenue courts, the conduct of business by such persons and the scale of fees to be charged by them, and the cancellation of such licences for breach of the terms and conditions thereof.

(2) Notwithstanding anything in sub-section (1), all rules made by the State Government or the Board under this section as it stood immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975, and in force on such date shall continue in force until repealed, amended or altered by the competent authortiy."

46. All cases referred to the State Government under section 218, and all revisions filed before the State Government under section 219 of the principal Act, as they stood immediately before the date of commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1975, and pending before the State Government on the said date, shall, notwithstanding anything in any judgment, decree or order of any court or authority, stand transferred to the Board and be decided by the Board, and the decision of the Board shall be final. Transitory provisions.

## CHAPTER VII

## AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT, 1953

47. In section 54 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953,— Amendment of section 54 of U. P. Act V of 1954.

(i) in sub-section (1), *for* the words "may make rules" the words "may by notification in the *Gazette* make rules" shall be *substituted* ;

(ii) *for* sub-sections (3), (4) and (5) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) All rules made under this section shall, as soon as, may, after they are made, be laid before each House of the State Legislature,

while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or two or more successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modification or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

## CHAPTER VIII

## REPEAL

Repeal of U.P. Ordinance no. 20 of 1975.

48. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Ordinance, 1975 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 212 सा० (विधायिका)—1975—650 (मैक०)